समाचार

इकरारनामा शर्तो के उल्लंघन पर आबंटन होगा निरस्त

(लीज समाप्ति के 01 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन आवश्यक)

(जिनकी लीज समाप्त हो गयी, वे 15 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से करें आवेदन, निगम ने दिया अंतिम अवसर)

कोरबा 31 अगस्त 2015 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आबंटित दुकान, भवन, हाल आदि की इकरारनामा शर्तो का उल्लंघन आबंटिती द्वारा किए जाने की स्थिति में निगम उक्त सम्पत्ति पर अपना ताला लगाते हुए आबंटन को निरस्त किए जाने की कार्यवाही करेगा। लीज शर्तो के अनुसार लीज समाप्ति के 01 माह पूर्व लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन निगम के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यहां उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने विभिन्न काम्पलेक्सों में स्थित दुकान, भवन, हाल आदि को लीज अवधि शर्तो के तहत आबंटन किया गया है, आबंटन की शर्तो के अनुसार लीज अवधि समाप्त होने के 01 माह पूर्व आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आगामी अवधि के लिए लीज नवीनीकरण हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करना होता है। किन्तु अनेक लीजग्रहीताओं व आबंटितों द्वारा दुकान, भवन, हाल आदि की लीज अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी आगामी अवधि के लिए लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन निगम को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जो कि इकरारनामा शर्तो का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। निगम द्वारा लीज ग्रहीताओं, आबंटितों से अंतिम रूप से कहा गया है कि यदि आबंटित दुकान, भवन, हाल आदि की लीज अवधि समाप्त हो गई हैं तो वे 15 दिवस के अंदर बकाया मासिक किराया निगम में जमा करते हुए निर्धारित प्रारूप में आगामी अवधि के लिए लीज नवीनीकरण हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि लीज नवीनीकरण की कार्यवाही निष्पादित की जा सके। समय अवधि के अंदर आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उक्त आबंटिती या लीजग्रहीता को दुकान, भवन, हाल की आवश्यकता नहीं है तथा निगम द्वारा उक्त सम्पत्ति पर अपना ताला लगाते हुए आबंटन को निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी।

संपादकव्यूरोचीफ.......................................
कृपया प्रकाशनार्थ सादर संप्रेषित

(रावेन्द्र सिंह)
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)